

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.
अनवान

वादी - 1.खेराजराम पुत्र नारणाराम, जाति जाट
निवासी जाखड़ों की ढाणी, रतासर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण - 1.वगताराम पुत्र सताराम 2.धार्ई पत्नि सताराम
3.तुलछाराम 4.खेताराम पि. नारणाराम, जाति जाट
निवासी जाखड़ों की ढाणी, रतासर
5.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण - वादी वकील - श्री महेन्द्र चौधरी
प्रतिवादी वकील -

वाद बाबत 88,53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 43/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. न्यायालय बहाजरी श्री महेन्द्र चौधरी एड. मिनजानिब मुदाई व श्रीएड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम जाखड़ों की ढाणी, पटवार हल्का रतासर, तहसील चौहटन में खसरा सं. 378/279 रकबा 75.01 बीघा, खसरा सं. 381/340 रकबा 63.08 बीघा, खसरा सं. 382/340 रकबा 21.14 बीघा, कुल रकबा 160.03 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं। लगातार शेष पृष्ठ पर..... बीज मबलिंग बाबत पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक को अदा करे।

वसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23.05.2018 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....
ओहदा.....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
			मीजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे करना।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिद्यत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	खेराजराम पुत्र नारणाराम, जाति जाट	जाखड़ों की ढाणी	378 / 329 381 / 340 382 / 340	18.15 15.10 05.04	— — —	0.94 0.78 0.26	नीला
2	धाई पत्नी सताराम, वगताराम पुत्र सताराम, तुलछाराम, खेताराम पि. नारणाराम जाति जाट	जाखड़ों की ढाणी	378 / 329 381 / 340 381 / 340 382 / 340	56.06 31.02 15.10 15.12	— — — —	2.81 1.55 0.78 0.78	गुलाबी
3	खेराजराम पुत्र नारणाराम, धाई पत्नी सताराम, वगताराम पुत्र सताराम, तुलछाराम, खेताराम पि. नारणाराम (रास्ता उपयोग हेतु)	जाखड़ों की ढाणी	382 / 340 381 / 340	0.18 1.06	— —	0.05 0.06	हरा

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन
सहायक कलक्टर चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 69/2013

पीठासीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

अनवान

वादी - 1. खेराजराम पुत्र नारणाराम, जाति जाट
निवासी जाखड़ों की ढाणी, रतासर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण - 1. वगताराम पुत्र सताराम 2. धाई पत्नि सताराम
3. तुलछाराम 4. खेताराम पि. नारणाराम, जाति जाट
निवासी जाखड़ों की ढाणी, रतासर
5. तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण - वादी वकील - श्री महेन्द्र चौधरी
प्रतिवादी वकील -

अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

निर्णय

दिनांक :- 23.05.18

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प रतासर में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। तहसीलदार सेड़वा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायाहित में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा जाखड़ों की ढाणी, पटवार हल्का रतासर, तहसील चौहटन में खसरा सं. 378/279 रकबा 75.01 बीघा, खसरा सं. 381/340 रकबा 63.08 बीघा, खसरा सं. 382/340 रकबा 21.14 बीघा, कुल रकबा 160.03 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।



सहायक कलक्टर
चौहटन

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	खेराजराम पुत्र नारणाराम, जाति जाट	जाखड़ों की ढाणी	378 / 329 381 / 340 382 / 340	18.15 15.10 05.04	— — —	0.94 0.78 0.26	नीला
2	धार्ई पत्नी सताराम, वगताराम पुत्र सताराम, तुलछाराम, खेताराम पि. नारणाराम जाति जाट	जाखड़ों की ढाणी	378 / 329 381 / 340 381 / 340 382 / 340	56.06 31.02 15.10 15.12	— — — —	2.81 1.55 0.78 0.78	गुलाबी
3	खेराजराम पुत्र नारणाराम, धार्ई पत्नी सताराम, वगताराम पुत्र सताराम, तुलछाराम, खेताराम पि. नारणाराम (रास्ता उपयोग हेतु)	जाखड़ों की ढाणी	382 / 340 381 / 340	0.18 1.06	— —	0.05 0.06	हरा

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.18 को न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कोर्ट कैम्प रतासर मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


 (भूपेन्द्र कुमार यादव)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी चौहटन